



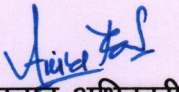
चुनाव अधिकारी कार्यालय महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक: 14() चु.अ.का./मदसवि/2018/2390-2411

दिनांक: 21.8.18

विद्यार्थियों के लिए चुनाव सम्बंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ

1. नामांकन आवेदन पत्र, छात्रसंघ संविधान की प्रति के साथ 100/- रुपये के भुगतान पर चुनाव कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे।
2. विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव पद हेतु नामांकन पत्र-निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष स्वयं प्रत्याशी को अपने प्रस्तावक के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. नामांकन वापसी के लिए स्वयं प्रत्याशी को प्रपत्र सं. 102 प्रस्तुत करना होगा।
4. कक्षा प्रतिनिधियों हेतु नामांकन पत्र सम्बंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी/निदेशक से प्राप्त कर उन्हें ही प्रस्तुत करना होगा।
5. नामांकन, मतदान एवं चुनाव सम्बंधी प्रत्येक कार्य हेतु विश्वविद्यालय परिचय पत्र अनिवार्य है।
6. छात्रसंघ चुनाव 2018 सम्पन्न कराने हेतु चुनाव सम्बंधी समस्त कार्य यथा नामांकन प्रस्तुत करना, नामांकन पत्रों की जांच एवं आपत्ति प्राप्त करना, वैध नामांकन सूची का प्रकाशन, उम्मीदवारों द्वारा नाम वापिस लेना एवं उम्मीदवारों की अंतिम नामांकन सूची का प्रकाशन आदि हेतु कार्यालय "महर्षि वाल्मीकी भवन" में रहेगा। तथा मतदान एवं मतगणना एवं चुनाव परिणाम की घोषणा एवं विजयी उम्मीदवार को पद की शपथ "सारस्वत भवन" में होगी।
7. मतदान केन्द्र एवं मतगणना हेतु नियुक्त एजेन्ट का भी विश्वविद्यालय का नियमित छात्र होना अनिवार्य है तथा इस कार्यावधि में उसके पास विश्वविद्यालय परिचय पत्र भी होना अनिवार्य है।
8. चुनाव के दौरान ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कि विश्वविद्यालय का नियमित छात्र नहीं है चुनाव प्रक्रिया में किसी भी क्षमता में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
9. प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 5000/- रुपये (पांच हजार रुपए) है।
10. किसी भी उम्मीदवार द्वारा छपे हुए पोस्टर या किसी अन्य छपी हुई सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग निषेद्ध है।
11. उम्मीदवार केवल हस्तनिर्मित पोस्टर का उपयोग परिसर में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही कर सकेंगे।
12. किसी भी उम्मीदवार को विश्वविद्यालय परिसर के बाहर रैलियां, जनसभा या प्रचार सामग्री वितरण करने की अनुमति नहीं है।
13. प्रचार हेतु लाउडस्पीकर वाहनों एवं जानवरों का उपयोग निषेद्ध है।
14. चुनाव अधिसूचना जारी होने की दिनांक से ही समस्त चुनाव प्रक्रिया एवं गतिविधियों की वीडियोग्राफी प्रारंभ करवा दी जाएगी।
15. विश्वविद्यालय छात्रसंघ संविधान, लिंगदोह समिति की सिफारिशों, राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बंधित छात्र के विरुद्ध संविधान प्रदत्त कार्यवाही की जायेगी।


चुनाव अधिकारी

छात्रसंघ चुनाव-2018

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय
अजमेर